

भाग-3

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

जनपद मथुरा में प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, मथुरा द्वारा के0एन0बी0जी0 से कोकिला वन तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य में प्रभावित 0.9537 हे0 आरक्षित वन भूमि के हस्तान्तरण एवं 22 वृक्षों के नष्ट होने की अनुमति सम्बन्धी

|     |                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14. | स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गई, क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण तारीख और किए गए प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें। | नहीं                                                                                       |
| 15. | क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख गें दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत हैं।                                                                                                 | सहमत                                                                                       |
| 16. | प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।                                                                                | प्रस्ताव जनहित में हैं, अतः भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है। |

दिनांक : 18.7.2016

वन संरक्षक,  
आगरा वृत्त, आगरा।  
वन संरक्षक,  
आगरा वृत्त, आगरा।